# न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 12/2016

रिंकू देवी वनाम राज्य एवं अन्य

## –:: आदेश ::–

9.3.17

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपील अपीलार्थी रिंकू देवी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 1225–1/आई०सी०डी०एस० दिनांक 10.09.2014 में पारित आदेश के विरूद्ध उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, न्यायालय में दाखिल किया गया। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका 10/10–4 तथा 10/10.7 के आलोक में उपनिदेशक कोशी प्रमंडल, सहरसा से अभिलेख प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी का कहना है ग्राम पंचायत पड़रिया के ऑगनबाड़ी केन्द्र मैना वार्ड नं0– 3, केन्द्र संख्या 184 पर ऑगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी समेत कुल 6 अभ्यार्थियों ने आवेदन दाखिल किया था। प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में दिनांक 10.08.2013 को मेधा सूची का प्रकाशन किया गया। प्रकाशित मेधा सूची के मेधा क्रम में क्रमांक–4 पर विपक्षी एवं क्रमांक–6 पर आवेदिका का नाम अंकित है। अन्य अभ्यर्थियों का मेधा क्रम इस वाद हेतु प्रासंगिक नहीं है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि दिनांक 16.11.2013 को आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम सभा के समक्ष मेधा क्रमांक (1) (3) (5) की अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई, जिस कारण उपरोक्त अभ्यर्थियों के चयन पर आम सभा के चयन समिति द्वारा विचार नहीं किया गया। शोष तीन अभ्यर्थी जो मेधा क्रमांक 2, 4, 6 पर थी आम सभा के समक्ष उपस्थित थी, उनके चयन पर चयन समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया। क्रमांक 2 की अभ्यर्थी कंचन कुमारी मेधा प्राप्तांक 72–85 अंको के साथ सबसे अव्वल थी, लेकिन इनकं संबंध में यह आपत्ति हुई कि उनकी गोतनी संबंधित जिले में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित है, लिहाजा मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 4–9 के प्रावधान के मुताबिक चयन समिति ने इन्हें इस पद हेतु अयोग्य मानते हुए इनके चयन पर विचार नहीं किया। उसके बाद क्रमांक– 4 की अभ्यर्थी नीता (विपक्षी) जिसका प्राप्तांक 62–44 था, उसके चयन पर विचार किया जाने लगा तो आपति हुई। इनकी सगी गोतनी जन प्रतिनिधि/पैक्स अध्यक्ष है। लिहाजा मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 4.8 के मुताबिक इन्हें भी उक्त पद हेतु अयोग्य मानते हुए इनके चयन पर विचार नहीं किया गया। अंत में क्रमांक–6 की अभ्यर्थी रिंकू देवी आवेदिका/अपीलार्थी जिसका प्राप्तांक 57.4 था उसके चयन पर विचार किया गया और चयन समिति द्वारा यह पाया गया कि आवेदिका पिछड़ा वर्ग से आती है और पोषक क्षेत्र की वर्ग वाहुल्यता पिछड़ा वर्ग है। साथ ही यह चयन संबंधी सभी आर्हत्ताओं को पूरी करती है। इसलिए चयन समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव संख्या–3 पारित कर अपीलार्थी का चयन सेविका पद पर उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु कर लिया गया। तदनुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा के ज्ञापांक 608 दिनांक 30.11.2013 के द्वारा अपीलार्थी को चयन पत्र निर्गत किया गया। अपीलार्थी अपना योगदान दी। आम सभा द्वारा अपीलार्थी के चयन के निर्णय के विरूद्ध विपक्षी नीता द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), सहरसा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारीके न्यायालय में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में यह कथन किये है, पैक्स अध्यक्ष जन प्रतिनिधि की श्रेणी में नहीं आते है, जिस कारण उन्हें चयन से वंचित किया गया।

विपक्षी की गोतनी पैक्स अध्यक्ष है जो जन प्रतिनिधि की श्रेणी में आती है, विपक्षी द्वारा मार्गदर्शिका के कंडिका–4 के उप कंडिका 4(8) ए का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उक्त कंडिका में जन प्रतिनिधि का स्पष्ट व्याख्या किया गया है, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, सदस्य, पंचायत समिति, पंच सरपंच, प्रमंख, उप प्रमुख, वार्ड कमिशनर के रिस्तेदार को चयन से वंचित रखने का प्रावधान है। विपक्षी द्वारा मार्ग दर्शिका के कंडिका 4.8 ए में वर्णित जन प्रतिनिधि के विविचेना को तोड़–मरोड़ कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और जन प्रतिनिधित्व के दायरे में विभिन्न पदो के साथ अंत में जुड़े इत्यादि शब्दों को बड़े सफाई के साथ जान बुझकर छोड़ दिया गया। मार्ग दर्शिका के कंडिका 4.8 ए में जन प्रतिनिधि के उदाहरण स्वरूप पदों को इस प्रकार दर्शाया गया है। 4.8 ए – जन प्रतिनिधि जैसे– मुखिया, वार्ड

9.3.17

सदस्य, सदस्य, पंचायत समिति, पंच सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड कमिशनर इत्यादि, सेविका/सहायिका पद के लिए अयोग्य होगी। इसका यह अर्थ लगाना कदापि उचित नहीं होगा कि वर्णित पदो के अलावें कोई जन प्रतिनिधि की परिभाषा दायरे में नहीं आयेगा। यदि ऐसा है तो क्या सांसद, विधायक, विधान पर्षद जन प्रतिनिधि नहीं कहलाऐगें वो सिर्फ इसलिए कि इन पदों का जिक्र जन प्रतिनिधि के रूप में मार्ग दर्शिका के कंडिका 4.8 ए में नहीं किया गया है। जाहिर है कि उक्त कंडिका में ही जन प्रतिनिधि के उदाहरणों में वार्ड कमिशनर के आगे इत्यादि शब्द का प्रयोग किया है, जिका बड़ा व्यापक अर्थ है अर्थात् इत्यादि के अन्तर्गत वैसे और भी कई जन प्रतिनिधि शामिल किये जा सकते है, जैसे सांसद–विधायक, विधान पार्षद, पैक्स अध्यक्ष इत्यादि जिसका जिक्र 4.8 ए में नही किया गया है। इसलिए जन प्रतिनिधि के परिभाषा को एक बड़े परिपेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है।

अपीलार्थी द्वारा अपने लिखित बहस के माध्यम से कहा कि पैक्स अध्यक्ष पैक्स का एक सदस्य ही जो आम जनता के वर्गीकृत मतदाताओं द्वारा चुने जाते है और इन्हें चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना होता है। विधान पार्षद भी आम जनता के बीच से ही वर्गीकृत मतदाताओं के द्वारा चुने जाते है और ये जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण जन प्रतिनिधि की श्रेणी में आते है। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव पैक्स के चुने गए सदस्यों द्वारा ठीक उसी प्रकार की जाती है जैसे प्रमुख अथवा उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के चुने हुए सदस्यों द्वारा। निम्न न्यायालय का यह विवेचना कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव आम जनता द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि पंचायत पैक्स के चयनित सदस्य द्वारा की जाती है, विल्कुल हास्यापद है।

अपीलार्थी का अग्रतर कहना है कि निम्न न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दुर्बल और त्रुटिपूर्ण है, जिसे (Set व Side) अपास्त किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी के चयन का लिय गया निर्णय मार्ग दर्शिका के कंडिका 4.8 ए के प्रावधानों के अनुरूप विल्कुल सही था। निम्न न्यायालय द्वारा किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। अन्ततः अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को रद्ध कर अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकार करने की याचना की गयी है।

विपक्षी संख्या-- 2 नीता का कहना है कि सोनवर्षा परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत– पड़रिया के आंगनबाड़ी केन्द्र मैना– 3 (मिनी) ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या– 184, वार्ड नं0– 1 के सेविका पद हेतु विज्ञापन निकाला गया, जिसमें कुल 6 अभ्यथियों ने अपना आवेदन समर्पित किया। दिनांक 16.11.2013 को आम सभा का आयोजन किया गया। उक्त केन्द्र के पोषक क्षेत्र वर्ग वाहुल्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया तथा सभी आवेदिका के आवेदन पत्र चयन समिति द्वारा बारी–बारी से विचार किया गया। मेघा सूची के प्रथम स्थान पर विजली देवी आम सभा से अपुपस्थित थी, इसलिए इसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात द्वितीय स्थान पर कंचन कुमारी की गोतनी शिक्षिका थी जो मार्ग दर्शिका के कंडिका 4.9 के अनुसार चयन की अर्हता को पूरा नहीं करती थी उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। तृतीय स्थान पर रेशमा भारती आम सभा से अनुपस्थित थी। इनके आवेदन को भी अस्वीकृत कर दिया गया। चौथे स्थान पर श्रीमती नीता (विपक्षी) के आवेदन पर विचार किया गया जो आम सभा में उपस्थित थी जो पोषक क्षेत्र के वाहुल्य से सर्वोच्च मेघा अंक की चयन से संबंधित सभी अर्हताएँ को पूरा करती थी, जिसका चयन किया जाना सुनिश्चित हुआ, किन्तु गलत रूप से यह कहते हुए चयन से वंचित कर दिया गया कि इनकी गोतनी पैक्स अध्यक्ष है जो जन प्रतिनिधि के दायरे में आती है। तत्पश्चात क्रमांक– 5 की गुंजन कुमारी के आवेदन पर विचार किया गया जो आम सभा में अनुपस्थित थी। उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। तब मेघा सूची क अंतिम क्रमांक– 6 पर रिंकू देवी अपीलार्थी का चयन कर दिया गया, जबकि आम सभा में रिंकू देवी के गलत चयन का विरोध हुआ तथा बताया गया पैक्स अध्यक्ष जन प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए जन प्रतिनिधि के परिभाषा को एक बड़े परिपेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है।

अपीलार्थी द्वारा अपने लिखित वहस के माध्यम से कहा कि पैक्स अध्यक्ष पैक्स का एक सदस्य ही जो आम जनता के वर्गीकृत मतदाताओं द्वारा चुने जाते है और इन्हें चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना होता है। विधान पार्षद श्री आम जनता के बीच से ही वर्गीकृत मतदाताओं के द्वारा चुने जाते है और ये जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण जन प्रतिनिधि की श्रेणी में आते है। पैक्स अध्यक्ष का

9.3.17

चुनाव पैक्स के चुने गए सदस्यों द्वारा ठीक उसी प्रकार की जाती है जैसे प्रमुख अथवा उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के चुने हुए सदस्यों द्वारा। निम्न न्यायालय का यह विवेचना कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव आम जनता द्वारा नहीं किया जाता है वल्कि पंचायत पैक्स के चयनित सदस्य द्वारा की जाती है, विल्कुल हास्याप्रद है।

अपीलार्थी का अग्रतर कहना है निम्न न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दुर्बल और त्रुटिपूर्ण है, जिसे (Set व Side) अपास्त किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी के चयन का लिया गया निर्णय मार्ग दर्शिका के कंडिका 4.8 ए के प्रावधानों के अनुरूप विल्कुल सही था। निम्न न्यायालय द्वारा किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। अन्ततः अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को रद्ध कर अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकार करने की याचना की गयी है।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील वाद खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
9.3.17
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

9.3.17
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 518-2 विधि, सहरसा, दिनांक– 30-03-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
30.3.17